



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-09082024-256218  
CG-HR-E-09082024-256218

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 440]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 479(अ).—मिलेट्स श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अंतर्गत सा.का.नि. 100(अ) के तहत दिनांक 5 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को 5 फरवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्र सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भागर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 की उन बातों के

सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या किए जाने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम मिलेट्स श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 है।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  - (3) ये नियम मानव उपभोग के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित साबुत या छिलके रहित मिलेट्स पर लागू होंगे, अर्थात:-
    - (i) सोरघम (ज्वार) *सोरघम बाईकलर*;
    - (ii) पर्ल मिलेट (बाजरा) *पेन्निसेटम ग्लायुकम, पेन्निसेटम अमेरिकानम, पेन्निसेटम टाइफ़ाइडियम*;
    - (iii) फिंगर मिलेट (रागी) *एल्यूसाइन कोराकाना*;
    - (iv) फॉक्सटेल मिलेट (कँगनी) *सेटारिया इटालिका*;
    - (v) कोदो मिलेट (कोदो) *पास्पलुम स्क्रोबिकुलाटम*;
    - (vi) लिटल मिलेट (कुटकी) *पैनिकम सुमाट्रेनसे*;
    - (vii) ब्राउनटॉप मिलेट (कोराले) *यूरोक्लोया रामोसा*;
    - (viii) बार्नयार्ड मिलेट (सामक के चावल) *एकिनोक्लोया कुस-गल्ली, एकिनोक्लोया कोलोना, एकिनोक्लोया फ्रुमेंटेसिया*;
    - (ix) प्रोसो मिलेट (चीना) *पैनिकम मिलिएकम*;
    - (x) अमरान्थस बीज (रामदाना या राजगीरा) *अमरान्थस कौडाटस, अमरान्थस कुएन्टस, अमरान्थस हाइपोकोड्रियाकस* ; और
    - (xi) बकव्हीट (कुट्टू) *फैगोपाएरम एस्क्युलेंटम*
2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है;
  - (ख) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
  - (ग) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार मिलेट्स का श्रेणीकरण करने और उन्हें चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;
  - (घ) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा मिलेट्स के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;
  - (ङ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;
  - (च) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक चिह्न" अभिप्रेत है;

(छ) “विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम” से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं;

(ज) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 या विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियमों में हैं।

3. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में “एगमार्क प्रतीक चिह्न” का डिजाइन होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, शब्द ‘एगमार्क’, वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे जो अनुसूची-I में निर्धारित डिजाइन के सदृश्य होगा।
4. श्रेणी अभिधान :- मिलेट्स की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जैसा कि अनुसूची-II से अनुसूची-XII में निर्दिष्ट है।
5. गुणवत्ता:- मिलेट्स की गुणवत्ता अनुसूची-II से अनुसूची-XII में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
6. पैकिंग करने की विधि :- (1) मिलेट्स को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम के प्रावधानों के अनुसार पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।
  - (2) समान लॉट या बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा।
  - (3) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का मिलेट होगा।
  - (4) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिकृति संख्या अंकित की जाएगी।
7. चिह्नांकन एवं लेबलिंग की विधि :- (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या स्पष्ट और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा।
  - (2) मिलेट को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार पैकेजिंग पर चिह्नांकित किया जाएगा।
  - (3) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-
    - (क) वस्तु का नाम;
    - (ख) प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्या;
    - (ग) श्रेणी;
    - (घ) किस्म या ट्रेड का नाम (वैकल्पिक);
    - (ङ) लॉट अथवा बैच संख्या;
    - (च) उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख;
    - (छ) पोषण संबंधी जानकारी;

- (ज) फसल वर्ष (वैकल्पिक);
- (झ) शुद्ध मात्रा;
- (ञ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता (मुद्रित या स्कैन करने योग्य);
- (ट) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी कर सहित);
- (ठ) समाप्ति तिथि अथवा उपभोग योग्य तिथि;
- (ड) भंडारण की स्थिति, यदि कोई हो; और
- (ढ) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण।

(4) पैकेजों पर अंकन के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही ऐसी गुणवत्ता की होगी जो मिलेट को दूषित नहीं करेगी।

(5) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की विशेष शर्तें:-साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उप- नियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा, अर्थात:-

(1) मिलेट्स की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो।

(2) प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश व्यवस्था सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों से मुक्त होगा।

(4) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो।

9. अन्य अपेक्षाएँ: (1) घरेलू व्यापार के मामले में यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) में विनिर्दिष्ट धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(3) (i) मिलेट्स की स्थिति ऐसी होगी कि वह,-

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके; और

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) मिलेट्स का भंडारण सामान्य तापमान पर शुष्क एवं स्वच्छ स्थान पर किया जाएगा।

अनुसूची-1

एगमार्क प्रतीक चिन्ह का डिजाइन

(नियम 3 देखें)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

नोट: प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्या निम्नलिखित में से कहीं पर भी मुद्रित की जा सकती है,-

(क) एगमार्क प्रतीक चिह्न के अंदर; या

(ख) प्राधिकार प्रमाण पत्र शब्द के साथ "लेबल देखें" मुद्रित होगा (संख्या के स्थान पर), तब प्राधिकार प्रमाण पत्र संख्या को लेबल पर प्रमुख स्थान पर पूर्वमुद्रित या इंकजेट मुद्रित किया जाएगा।

## अनुसूची -II

(नियम 4 व 5 देखें)

## ज्वार का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. ज्वार, सोरघम बाईकलर पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

ज्वार में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)						घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने					
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

नोट: बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10% से अधिक नहीं होंगी।

## अनुसूची -III

(नियम 4 व 5 देखें)

## बाजरा का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- बाजरा, पेन्निसेटम ग्लायुकम, पेन्निसेटम अमेरिकानम अथवा पेन्निसेटम टाइफाइडियम पौधों के सूखे परिपक्व दाने होंगे।
- न्यूनतम अपेक्षाएं:-  
बाजरा में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-  
(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;  
(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;  
(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;  
(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।
- श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)						घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने					अपरिप क्व और झुरीदार दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

नोट: बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10% से अधिक नहीं होंगी।

## अनुसूची -IV

(नियम 4 व 5 देखें)

## रागी का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. रागी, एल्यूसाइन कोराकाना पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

रागी में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनियता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)						घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने					अपरिप क्व और झुरीदार दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

नोट: बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।



## अनुसूची -V

(नियम 4 व 5 देखें)

## कैंगनी का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. कैंगनी, *सेटारिया इटालिका* पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कैंगनी में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -VI

(नियम 4 व 5 देखें)

## कोदो मिलेट का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. कोदो मिलेट, *पास्पलुम स्क्रोबिकुलाटम* पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कोदो मिलेट में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -VII

(नियम 4 व 5 देखें)

## कुटकी का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. कुटकी, पैनिकम सुमाट्रेनसे पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कुटकी में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -VIII

(नियम 4 व 5 देखें)

## ब्राउनटॉप मिलेट का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. ब्राउनटॉप मिलेट, यूरोक्लोया रामोसा पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

ब्राउनटॉप मिलेट में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -IX

(नियम 4 व 5 देखें)

## सामक के चावल का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. सामक के चावल, एकिनोक्लोया क्लस-गल्ली, एकिनोक्लोया कोलोना अथवा एकिनोक्लोया फ्रुमेटेसिया पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

सामक के चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) जहरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम/किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने				
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -X

(नियम 4 व 5 देखें)

## चीना का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. चीना, पैनिक्म मिलिएकम पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

चीना में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -XI

(नियम 4 व 5 देखें)

## रामदाना का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. रामदाना, *अमरान्थस कौडाटस*, *अमरान्थस कुएन्टस* अथवा *अमरान्थस हाइपोकोड्रियाकस* पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

रामदाना में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) जहरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम/किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने				
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।

## अनुसूची -XII

(नियम 4 व 5 देखें)

## कुट्टू का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. कुट्टू, फ़ैगोपाएरम एस्क्युलेटम पौधे के सूखे परिपक्व दाने होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कुट्टू में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) सूखा, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर तथा एक समान माप, आकार और रंग का होगा;

(ख) किसी भी प्रकार के असामान्य स्वाद व गंध से मुक्त होगा;

(ग) ज़हरीले, विषैले या अप्रीतिकर बीजों से मुक्त होगा;

(घ) योजित रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, गंदगी, फफूंद, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश और कवक से मुक्त होगा।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:-

## तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार %, अधिकतम)							घुन लगे दाने (गणना के हिसाब से %) (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (मिलीग्राम /किग्रा) अधिकतम	कुल एफला टॉक्सिन (माइक्रोग्राम /किग्रा) अधिकतम	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने		अपरिपक्व और झुरीदार दाने				भूसी सहित दाने
		कार्बनिक बाह्य पदार्थ	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ		बहुत खराब दाने	मामूली खराब दाने					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
मानक	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
सामान्य	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

नोट: (1) बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 % से अधिक नहीं होंगी।

(2) भूसी सहित दाने का मानदंड केवल छिलके रहित मिलेट के लिए माना जाना चाहिए।



तालिकाओं के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण:

- (i) बाह्य पदार्थ में अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। अकार्बनिक पदार्थ में रेत, बजरी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कांच और धातु के टुकड़े, मिट्टी के ढेले और कीचड़ शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में भूसी, पुआल, घास-फूस, खरपतवार के बीज, चोकर के टुकड़े और अन्य अखाद्य अनाज शामिल होते हैं।
- (ii) अन्य खाद्य दाने विचाराधीन अनाज के अलावा कोई भी अन्य खाद्य अनाज है।
- (iii) बहुत खराब दाने ऐसे दाने होते हैं जिनमें कीटों द्वारा बीजपत्र को प्रभावित या खराब किया गया हो अथवा जिनमें फफूंदी या सड़न के बहुत मामूली निशान हों।
- (iv) मामूली खराब दाने ऐसे दाने होते हैं जिनमें बिना बीजपत्र प्रभावित हुए, बीज आवरण पर व्यापक रूप से धब्बे हो; ऐसे दाने जिनमें बीज का आवरण झुर्रीदार होता है और जो स्पष्ट रूप से मुड़े हुए या टूटे हुए होते हैं।
- (v) अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने वे अनाज के दाने या दाने के टुकड़े हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं।
- (vi) भूसी सहित दाने वे अनाज के दाने या दाने के टुकड़े हैं जिनमें दाने के एक सोलहवें या उससे बड़े हिस्से पर भूसी होती है।
- (vii) घुन लगे दाने वे अनाज के दाने होते हैं जिनमें अनाज के लिए हानिकारक कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से छेद कर दिया जाता है, लेकिन इनमें कीटाणुओं द्वारा खाए गए दाने और अंडे के धब्बे वाले दाने शामिल नहीं हैं।
- (viii) जहरीले, विषैले और/या अप्रतिकर बीज से कोई भी ऐसा बीज अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य, ऑर्गेनोलेप्टिक गुणों या तकनीकी प्रदर्शन पर हानिकारक या खतरनाक प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि धतूरा (डी. फास्टुओसा लिन. और डी. स्ट्रैमोनियम लिन.), कॉर्नकॉकल (एग्रोस्टेम्मा गिथागो एल.) और अकरा (विसिया प्रजाति)।

[फा. सं. क्यू-11047/06/मिलेट्स/2023-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2024

**G.S.R. 479(E).**—Whereas the draft of the Millets Grading and Marking Rules, 2024, was published under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 100(E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 5<sup>th</sup> February, 2024;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Bhagar Grading and Marking Rules, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Millets Grading and Marking Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
  - (3) They shall apply to the following whole or dehusked millets intended for direct human consumption:-
    - (i) Sorghum (Jowar) *Sorghum bicolor* ;
    - (ii) Pearl millet (Bajra) *Pennisetum glaucum*, *Pennisetum americanum*, *Pennisetum typhoideum* ;
    - (iii) Finger millet (Ragi) *Eleusine coracana* ;
    - (iv) Foxtail millet (Kangni) *Setaria italica* ;
    - (v) Kodo millet (Kodo) *Paspalum scrobiculatum* ;
    - (vi) Little millet (Kutki) *Panicum sumatrense* ;
    - (vii) Browntop millet (Korale) *Urochloa ramosa* ;
    - (viii) Barnyard millet (Samak ke chawal) *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa colona*, *Echinochloa frumentacea* ;
    - (ix) Proso millet (Cheena) *Panicum miliaceum* ;
    - (x) Amaranthus seed (Ramdana or Rajgira) *Amaranthus caudatus*, *Amaranthus cruentus*, *Amaranthus hypochondriacus* ; and
    - (xi) Buckwheat (Kuttu) *Fagopyrum esculentum*.
2. Definitions. -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
  - (b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
  - (c) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark millets with the grade standards and procedure prescribed under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;
  - (d) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark millets with the grade designation mark;
  - (e) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
  - (f) "Grade designation mark" means 'Agmark insignia' as referred to in rule 3;
  - (g) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and
  - (h) "Schedule" means the Schedules appended to these rules.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988 or the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, shall have the meanings respectively assigned to them under the said Act or the rules.
3. Grade designation mark. - The grade designation mark shall consist of "Agmark insignia" incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and a grade designation resembling the design specified in Schedule-I.
4. Grade designation. - The grade designation to indicate the quality of millets shall be such as specified in Schedule-II to XII.
5. Quality. - The quality of millets shall be such as specified in Schedule-II to XII.
6. Method of packing. - (1) Millets shall be packed in packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules.

- (2) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with the grade designation mark.
- (3) Each package shall contain millets of the same type and of the same grade designation.
- (4) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling and marked with replica numbers issued by the competent authority.
7. Method of marking and labeling.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
- (2) The millets shall be marked on packaging in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020.
- (3) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-
- name of the commodity;
  - certificate of authorisation number;
  - grade;
  - variety or trade name (optional);
  - lot or batch number;
  - date of manufacture or packaging;
  - nutritional information;
  - crop year (optional);
  - net quantity;
  - name and address of the authorised packer (printed or scannable);
  - maximum retail price (inclusive of all taxes);
  - expiry or use by date;
  - storage condition, if any; and
  - any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any law for the time being in force or any instructions issued there under.
- (4) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the millets.
- (5) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
8. Special conditions for grant of certificate of authorisation.— In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall comply with the conditions specified under these rules, namely:-
- The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms provided under rule 8 of the General Grading and Marking Rules or have access to an approved State grading laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of millets.
  - The premises of the authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary condition with proper ventilation and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

- (3) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.
- (4) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time.
9. Other requirements: (1) For domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticide residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).
- (2) For export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export.
- (3) (i) The condition of the millets shall be so as to enable it to, -
- (a) withstand transport and handling; and
- (b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) The millets shall be stored in a dry and hygienic place at normal room temperature.

#### SCHEDULE-I

Design of Agmark insignia

(See rule 3)



Name of the Commodity-----

Grade-----

Note: Certificate of authorisation number may be printed either,-

- (a) inside the Agmark insignia; or
- (b) Certificate of authorisation number with words "see label" (replacing number place), then certificate of authorisation number to be either preprinted or inkjet printed at prominent place on label.

## SCHEDULE-II

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Sorghum

1. Sorghum is the dried mature grain obtained from the plant *Sorghum bicolor*.
2. Minimum requirements:-  
Sorghum shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)						Weevilled grains (% by count) max.	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains					Immature and shrivelled grains
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

Note: In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

## SCHEDULE-III

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Pearl millet

1. Pearl millet is the dried mature grain obtained from the plants *Pennisetum glaucum*, *Pennisetum americanum*, *Pennisetum typhoideum*.
2. Minimum requirements:-  
Pearl millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)						Weevilled grains (% by count) max.	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains					Immature and shrivelled grains
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

Note: In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

## SCHEDULE-IV

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Finger millet

1. Finger millet is the dried mature grain obtained from the plant *Eleusine coracana*.
2. Minimum requirements:-  
Finger millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max.	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains			
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	4.0	100	15

Note: In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

## SCHEDULE-V

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Foxtail millet

1. Foxtail millet is the dried mature grain obtained from the plant *Setaria italica*.
2. Minimum requirements:-  
Foxtail millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin ( $\mu$ g/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.



## SCHEDULE-VI

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Kodo millet

1. Kodo millet is the dried mature grain obtained from the plant *Paspalum scrobiculatum*.
2. Minimum requirements:-  
Kodo millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-VII

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Little millet

1. Little millet is the dried mature grain obtained from the plant *Panicum sumatrense*.
2. Minimum requirements:-  
Little millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-VIII

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Browntop millet

1. Browntop millet is the dried mature grain obtained from the plant *Urochloa ramosa*.
2. Minimum requirements:-  
Browntop millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum).								Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin ( $\mu\text{g/kg}$ ) max.
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains	Grains with husk			
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-IX

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Barnyard millet

1. Barnyard millet is the dried mature grain obtained from the plants *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa colona*, *Echinochloa frumentacea*.
2. Minimum requirements:-  
Barnyard millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin ( $\mu$ g/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-X

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Proso millet

1. Proso millet is the dried mature grain obtained from the plant *Panicum miliaceum*.
2. Minimum requirements:-  
Proso millet shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-XI

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Amaranthus seed

1. Amaranthus seed is the dried mature grain obtained from the plants *Amaranthus caudatus*, *Amaranthus cruentus*, *Amaranthus hypochondriacus*.
2. Minimum requirements:-  
Amaranthus seed shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin ( $\mu\text{g/kg}$ ) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

## SCHEDULE-XII

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Buckwheat

1. Buckwheat is the dried mature grain obtained from the plant *Fagopyrum esculentum*.
2. Minimum requirements:-  
Buckwheat shall be,-
  - (a) dry, clean, wholesome and of uniform size, shape and colour;
  - (b) free from any abnormal taste, flavour and odour;
  - (c) free from poisonous, toxic or obnoxious seeds;
  - (d) free from added coloring matter, rodent hair and excreta, filth, moulds, live and dead insects, insect fragments and fungus.
3. Criteria for grade designation:-

Table

Grade designation	Limit of tolerance (% by weight, maximum)							Weevilled grains (% by count) max	Uric acid (mg/kg) max.	Total aflatoxin (µg/kg) max.	
	Moisture	Extraneous matter		Other edible grains	Damaged grains		Immature and shrivelled grains				Grains with husk
		Organic extraneous matter	Inorganic extraneous matter		Grains with serious defects	Grains with slight defects					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.15	0.10	1.0	0.25	3.0	2.0	0.25	1.0	100	15
Standard	13.0	0.50	0.25	1.5	0.5	5.0	3.0	0.50	2.0	100	15
General	13.0	0.75	0.25	2.0	1.0	7.0	5.0	0.75	4.0	100	15

Note: (1) In extraneous matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10% by weight.

(2) The parameter grains with husk is to be considered for dehulled millet only.

Explanation for the purpose of the Tables:

- (i) Extraneous matter includes inorganic and organic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, glass and metallic pieces, lumps of earth, clay and mud. Organic matter shall include husk, chaff, straw, weed seeds, fragments of bran and other inedible grains.
- (ii) Other edible grains are any edible grains other than the one under consideration.
- (iii) Grains with serious defects are grains in which the cotyledon has been affected or attacked by pests; grains with very slight traces of mould or decay.
- (iv) Grains with slight defects are grains with extensive seed coat staining, without the cotyledon being affected; grains in which the seed coat is wrinkled, with pronounced folding or broken grains.
- (v) Immature and shrivelled grains are kernels or pieces of grain kernels that are not fully developed.
- (vi) Grains with husk are kernels or pieces of kernels carrying husk on one sixteenth or larger portion.
- (vii) Weevilled grains are grain kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grain but do not include germ-eaten grains and egg-spotted grains.
- (viii) Poisonous, toxic and/or obnoxious seeds means any seed which may have damaging or dangerous effect on health, organoleptic properties or technological performance such as datura (*D. fastuosa* linn. and *D. stramonium* linn.), corncockle (*Agrostemma githago* L.), Akra (*Vicia* species).

[F. No. Q-11047/06/Millets/2023-Std.]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)